शारीरिक शिक्षा खेलकूद विभाग, छलेसर परिसर, आगरा

डा0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

(पूर्ववर्ती :– आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

डा0 अखिलेश चन्द्र सक्सैना
निदेशक
शा0शि0 एवं खेलकूद विभाग
Email :- dr.acsaxena1@gmail.com
Mob :- +91 9897328756

पत्रांक संख्या : शा0शि0 खेलकूद / **27** / 2024
दिनांक : 22 / 08 / 2024

सम्मानित प्राचार्य / आयोजन सचिव के लिये अंतर महाविद्यालय खेलकूद प्रतियोगिताओं के सफल आयोजन कराये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा–निर्देश

1. सत्र 2023–24 के प्रमाण पत्रों में प्रतिभागियों के नाम / पिता का नाम / माता का नाम में काफी संशोधन किया गया है इसलिये प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों (नाम / पिता का नाम / माता का नाम) के पात्रता प्रमाण–पत्र हाईस्कूल की अंकतालिका / प्रमाण–पत्र पर दर्शायें गये नाम के अनुरूप तैयार कराने का कष्ट करें, जिससे खिलाड़ियों को प्रमाण–पत्र प्राप्त कराने में असुविधा न हो।
2. प्रतिभागी खिलाड़ियों को प्रतियोगिता स्थल पर अपना परिचय–पत्र, आधारकार्ड, फीस रसीद व समस्त अंकतालिकाओं की स्वप्रमाणित छायाप्रति व पासपोर्ट साइज के 02 फोटो प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है साथ ही खिलाड़ियों के समस्त अभिलेखों का परीक्षण करना आयोजन सचिव तथा विश्वविद्यालय द्वारा नामित पर्यवेक्षक / चयनकर्ता द्वारा किया जायें, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी आयोजन सचिव / विश्वविद्यालय द्वारा नामित पर्यवेक्षक की होगी।
3. आयोजन सचिव द्वारा प्रतियोगिता समाप्त के दौरान प्रतिभागी टीम को खेल प्रमाण–पत्र विश्वविद्यालय नियमानुसार विजेता एवं उपविजेता व व्यक्तिगत स्पर्धा में प्रथम तथा द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने पर निर्गत किये जायेगें। सत्र 2023–24 में अधिकांश खेलों के प्रमाण पत्र खिलाड़ियों को प्रदान नही किये गये है। पर्यवेक्षक द्वारा प्रतियोगिता की विस्तृत रिपोर्ट संलग्न परफोर्मा पर देना सुनिश्चित करें।
4. आयोजन सचिव के हस्ताक्षर एवं मोहर (नाम सहित) विश्वविद्यालय द्वारा आवंटित धनराशि के समायोजन से सम्बन्धित पत्रावली एक सप्ताह में विश्वविद्यालय के खेलकूद विभाग में जमा कराना सुनिश्चित करें, जिससे समय रहते अंतर विश्वविद्यालय में प्रतिभाग हेतु अग्रिम कार्यवाही पूर्ण की जा सकें।
5. यदि अपरिहार्य करणों से आंवटित खेल प्रतियोगिता सम्बन्धित महाविद्यालय / संस्थान द्वारा आयोजित नहीं हो पा रही है तो इसकी सूचना एक सप्ताह पूर्व देनी होगी जिससें उक्त प्रतियोगिता किसी अन्य महाविद्यालय में आयोजित कराई जा सके।
6. खेलकूद प्रतियोगिताओ का आयोजन सचिव विश्वविद्यालय चयन समिति का सदस्य होता है इसलिये आप से अपेक्षा की जाती है कि आयोजन सचिव को सम्बन्धित खेल का ज्ञान होना अनिवार्य है।
7. सभी महाविद्यालयों को निर्देशित किया जाता है कि अंतर महाविद्यालय प्रतियोगिता में चैम्पियनशिप अनिवार्य रूप से करना सुनिश्चित करें।
8. प्रतियोगिता के परिणाम, टीम संख्या एवं प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों का पूर्ण विवरण अवश्य प्रस्तुत करें।

डा0 ए0 सी0 सक्सैना
खेलकूद अधिकारी / निदेशक
शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद विभाग
डा0 बी0 आर0 ए0 वि0 वि0, आगरा

9. अंतर महाविद्यालय प्रतियोगिताओं में खिलाड़ी का चयन करते समय उसकी योग्यता एवं अनुभव के आधार पर आयोजन सचिव/पर्यवेक्षक द्वारा निष्पक्ष निर्णय लेना सुनिश्चित करें एवं सम्बन्धित खेलसंघ के नियमों का पालन करें।
10. एक खिलाड़ी अधिकतम 03 खेलों में (ऑल इण्डिया/उत्तर पूर्व क्षेत्रीय/उत्तर क्षेत्रीय) चयनित किया जा सकता है।
11. आत्मरक्षक खेलों में प्रतिभाग करने से पूर्व भारतीय विश्वविद्यालय संघ (AIU) के निर्देशानुसार मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO)/चिकित्सा अधिकारी (CMS) द्वारा निर्गत स्वास्थ प्रमाण–पत्र की मूल प्रति आयोजन सचिव को प्राप्त करना आवश्यक है तथा पत्रावली में समाहित करें।
12. अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता की आयोजन तिथियॉ अधिकांश निश्चित नहीं है इसलिये किसी भी खेल की अंतर महाविद्यालय प्रतियोगिता के आयोजन दिनांक एवं आयोजन स्थल में भी परिवर्तन किया जा सकता है।
13. खेल प्रतियोगिता के आयोजन की सूचना एक सप्ताह पूर्व दैनिक समाचार पत्रों एवं अन्य माध्यमों तथा सोशल मीडिया आदि के द्वारा भी प्रचार–प्रसार करें, जिससे प्रतियोगिता से सम्बन्धित खिलाड़ियों को प्रतियोगिता के आयोजन की सूचना ससमय प्राप्त हो सके और अधिकांश संख्या में खिलाड़ी प्रतिभाग कर सके। प्रतियोगिता से सम्बन्धित कम से कम 10 फोटोग्राफ (जियोटैग), समाचार पत्रों की छायाप्रति एवं संक्षिप्त रिपोर्ट पत्रावली में समाहित करें, जिससे विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट तैयार की जा सके।
14. खिलाड़ियों की चयन की संख्या भारतीय विश्वविद्यालय संघ (AIU) के नियमानुसार करें।
15. पुरूष वर्ग एवं महिला वर्ग में कम से कम 03 टीमों के प्रतिभाग करने पर ही अंतर महाविद्यालय खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन कराया जायेगा जोकि पूर्ण रूप से अनिवार्य है तथा प्रतिभाग करने वाली टीमों को संम्बन्धित खेल की निर्धारित किट पहनना आवश्यक है। टीमों की संख्या कम होने पर खेल निदेशक की अनुमति पर ट्रायल कराने के उपरान्त विश्वविद्यालय टीम का चयन किया जायेगा।
16. यदि कोई टीम अंतर विश्वविद्यालय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करने की स्थिति में है तो ऐसी टीम के लिय 10 या 15 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण शिविर की प्रबल संस्तुति आयोजन सचिव, पर्यवेक्षक तथा विशेषज्ञों द्वारा यथाशीघ्र प्रथक रूप से खेल निदेशक को प्रशिक्षण शिविर के प्रस्ताव सहित पूर्ण पत्रावली देनी होगी, जिससे विश्वविद्यालय अधिकारियों की वित्तीय एवं प्रशासनिक अनुमति ससमय से प्राप्त की जा सके तथा कैम्प का सफल आयोजन हो सके।

ASaxena 02/9/24

डा0 अखिलेश चन्द्र सक्सैना
निदेशक
शा0 शिक्षा खेलकूद विभाग

डॉ. ए0 सी0 सक्सैना
खेलकूद अधिकारी / निदेशक
शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद विभाग
डॉ. बी. आर ए. वि. वि., आगरा

शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद विभाग

डा0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

(पूर्ववर्ती :— आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

आयोजन सचिव प्रतिवेदन / ORGANIZING SECRETARY REPORT

1 पर्यवेक्षक / चयनकर्ताओं के नाम —

2 पर्यवेक्षक के कॉलेज का नाम —

3 प्रतियोगिता का नाम —

4 आयोजन स्थल / कॉलेज —

5 आयोजन सचिव का नाम —

6 प्रतिभाग करने वाली टीमों की संख्या —

7 चयनित प्रतिभागियों की संख्या —

8 प्रतियोगिता के दौरान खेलते हुये एवं चयनित प्रतिभागियों के जियोटैग फोटो संलग्न करें (कम से कम 10 फोटो)

9 प्रतियोगिता की विस्तृत रिपोर्ट पृथक आवश्यक रूप से पर्यवेक्षक द्वारा प्रस्तुत करें

आयोजन सचिव के हस्ताक्षर —

मो0न0 —

दिनांक —